तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लोहावट)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 55/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-04-2022	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट– शिकारपुरा तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.02.22 में (1) संयुक्त शासन सचिव महोदय, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर के पत्र कमांक प0 4(6)स्टेट मो.गै./2010 जयपुर दिनांक 09.09.2016 की पालना में उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा सरकारी वाहन नम्बर आरजे 19–यूए–3377 का निवास से कार्यालय आने जाने हेतु 01.10.2029 से 31.03.2020 तक राजकोष में वेतन से प्रत्येक माह जमा करवाई गई राशि से संबंधित रजिस्टर/बिल स्टेटमेंट की नियमानुसार प्रमाणि छाया प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से जरिये पत्रांक 1375 दिनांक 07.04.22 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2022/903 दिनांक 04.03.22 जरिये डाक स्पीड पोस्ट भिजवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज [illegible]स्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:27:00 IST
Reason: SelfAttested